न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./01/17/भीलवाड़ा (2017/00183)

विभागीय अपील द्वारा श्री राहुल पारीक तत्कालीन पटवारी ढीकोला हाल तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 25–07–2016 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री राहुल पारीक तत्कालीन पटवारी ढीकोला हाल तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।

निर्णय

दिनांकः– 24.07.2019

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 25–07–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 08–10–2014 को एक ज्ञापन अन्तर्गत नियम 16 सीसीए के मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या– 1

यह कि आपने दिनांक 19–8–2014 को ग्राम ढीकोला के बंजारो का खेड़ा (डूंगरी चौराया) में सामुहिक ग्रामवासी ढीकोला के द्वारा बंजारों का खेड़ा बस्ती पर हमला कर आगजनी/तोड़फोड़ की घटना हुई, जिसकी सूचना आपने उच्चाधिकारियों को नहीं देकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में गंभीर लापरवाही बरती है अतः आपका उक्त कृत्य राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम विरूद्ध कर गंभीर दुराचरण किया है। जैसा कि अभिकथनों के विवरण पत्र संख्या 1 में अंकित है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 26.11.2014 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत

कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। इनको व्यक्तिगत सुनवाई कर अवसर देकर दिनांक 11–7–2016 नियत की गई। इस पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुए। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपीलान्ट की सुनवाई कर आदेश दिनांक 25–07–2016 पारित कर अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया है कि पैरोकार सरकार ने प्रकरण की पैरवी के दौरान कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया, जो आरोप के प्रमाणित करने के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष, आंखो देखा गवाह हो। पेरोकार सरकार ने आरोप के तथ्यों को प्रमाणित कराने के अपने दायित्व के तहत कोई दस्तावेज, रिपोर्ट जनता समुदाय, एफ.आई.आर पुलिस डायरी या प्रशासनिक अधिकारी की डायरी, रोजनामचा रिपोर्ट आदि प्रस्तुत नहीं किया, तब आरोप सिद्ध कराने का कोई आधार पेरोकार सरकार के पास नहीं था, न ऐसी स्थिति में जांच अधिकारी के पास ही नेगेटिव ओपीनियन देने का आधार था। पेरोकार सरकार ने अपचारी द्वारा स्थानीय स्तर से नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी, नायब तहसीलदार को सूचना नहीं देने का कोई आधार पेश नहीं किया।

उनका यह भी तर्क है कि अपचारी से उच्चाधिकारी स्थानीय पटवार मण्डल स्तर पर स्वयं नायब तहसीलदार है तो सीधे उनसे उच्चाधिकारी को पहले सूचित करने का भार अपचारी पर नहीं है। प्रथम स्तर पर नायब तहसीलदार को अवगत करा दिया गया और वे स्वयं सम्पूर्ण घटनाक्रम में मौजूद रहे तो सूचना देने में लापरवाही का आधार उत्पन्न नहीं होता है। नायब तहसीलदार के बयान कराये हो अथवा उनका शपथ पत्र या मुझे पृष्ठांकित पत्र की प्रति प्राप्त हुई हो दोनों नाकारा स्थिति मे है, तब आरोप प्रमाणित करने या लापरवाही साबित करने का जांच अधिकारी के पास कोई विधि मान्य प्रमाण पेश नहीं हुआ था जिससे गलत व विधि से बाहर जाकर विवेचनात्मक निष्कर्ष दिया है जिसे कोई कानूनन मान्य करार नहीं दे सकता।

अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अपीलार्थी ने अपनी ओर से शहादत पेश कर बयान कराने का अवसर दौराने सुनवाई चाहा था तो कोई आवश्यकता नहीं बताकर जांच अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया और कहा कि सरकारी पैरोकार ने कोई गवाह पेश नहीं किया। अतः बचाव पक्ष के गवाही की भी जरूरत नहीं है। यह बचाव अधिकारी के अधिकारों का हनन व अवसर से वंचित करना है। जांच अधिकारी को जांच करने के दौरान निष्कर्ष पूर्व सीसीएआर नियम

7 के बिन्दु संख्या 1 से 7 तक के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए सम्पन्न करना चाहिए व नियम 8 के तहत उक्त सभी संलग्न दस्तावेजात के साथ जांच रिपोर्ट अनुशासनिक अधिकारी को अग्रेषित करनी चाहिए जबकि दोनों ही नियमों के प्रावधानों की पालना नहीं हुई।

अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अनुशासनिक अधिकारी ने नियम 16(9) के अन्तर्गत जांच रिपोर्ट की उचित व व्यवहारिक समीक्षा नहीं कर कोई अभिव्यक्ति नहीं दी, केवल जांच रिपोर्ट से सहमति जताते हुए दण्ड देने का मानसिक लक्ष्य निर्धारित कर निर्णय प्रदान कर दिया जो विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 25–7–2016 से अपीलार्थी को तथाकथित घटना पर उपस्थित, नियंत्रण अधिकारी नायब तहसीलदार ढीकोला की मौजूदगी, पुलिस चौकी की व्यवस्था व चौकी स्टॉफ की मौजूदगी के चलते घटना की जानकारी उच्चाधिकारी जिसकी व्याख्या नहीं की गई को न देने में लापरवाही मानते हुए व जांच अध्किाारी द्वारा बिना प्रमाण व आधार के दिये निष्कर्ष को आधार मानते हुए अनुशासनिक अधिकारी द्वारा असंचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया जबकि जांच रिपोर्ट में जांच अधिकारी ने अपचारी कर्मचारी को लापरवाही को सप्रमाण साबित नहीं कर काल्पनिक रूप से लापरवाही बरतना प्रकट होना ठहराया गया, वही निलम्बन काल में दिये गये भत्ते के अलावा शेष देय वेतन को फोरफिट कर दोहरा दण्ड दिया गया है। इस प्रकरण में अपीलाट नियम 13 के तहत निलंबन का पात्र भी नहीं था क्योंकि अपचारी कर्मचारी द्वारा कोई गवाहान को प्रभावित करना संभव नहीं था जबकि कोई गवाह ही पेश नहीं हुये न किये गये। अतः निलम्बन भी पूर्वाग्रहित था जिसे अपीलार्थी ने स्वीकार किया है।

अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अपचारी कर्मचारी को आरोप संस्थित कर इसके माध्यम से दुराचारी बताया है जो निर्णय लेने में त्रुटि, कार्य सम्पादन में लापरवाही, गफलत तथा कृत्य निर्धारित स्तर या गुण के विपरीत है। यह दुराचरण की परिभाषा में नहीं आता है। (स्टेट ऑफ पंजाब विरूद्ध रूप सिंह 1992 एससीसी 54 सीसीएआर पृष्ठ 3) में उल्लेखानुसार दुराचरण श्रेणी में अपीलार्थी का संस्थित आरोप में उल्लेखित तथ्य लापरवाही व सजगता का अभाव को नहीं माना जा सकता है लेकिन अनुशासनिक अधिकारी द्वारा आरोप में कृत्य को गंभीर श्रेणी का दुराचरण किये जाने के आरोप से आरोपित किया गया जिससे अपीलार्थी को अपने आपको आहत होकर दुराचारी मानने को विवश होना पड़ा।

लेकिन मेरे उच्चाधिकारी को रूबरू गलत साबित करने का दुस्साहस नहीं कर पाता व सहन करना ही मेरा कृत्य था। अतः दुराचरण शब्द को आरोप से हटाने का श्रम करावे। अपीलांट को जांच में बचाव का पर्याप्त अवसर नहीं देने, जवाब, अभ्यावेदन व व्यक्तिगत सुनवाई के प्रतिवेदन के तथ्यों पर अनदेखी कर विचार नहीं करने से दण्डित किया गया है जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता।

इस कारण जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 25–7–2016 निरस्त योग्य है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से टिप्पणी प्राप्त की गई उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 73907 दिनांक 14–12–2016 से अवगत कराया है कि जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा ने पत्र दिनांक 23–2–2015 से अपीलांट को सूचना पत्र जारी कर दिनांक 10 मार्च 2015 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं बयान दर्ज कराने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया था। उक्त पत्र की तामीली तहसीलदार कोटड़ी द्वारा दिनांक 3–3–2015 को करवाई गई थी। जांच अधिकारी द्वारा अपीलांट को बचाव का सम्पूर्ण अवसर प्रदान किया गया। अपीलार्थी का कथन अस्वीकार है। अनुशासनिक अधिकारी द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पूर्ण रूप से पालना करते हुए अपचारी पटवारी को इस कार्यालय के पत्रांक 70771–72 दिनांक 4–7–2016 को पत्र जारी कर दिनांक 11–7–2016 को प्रातः 11.00 बजें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जिसमें अपीलार्थी को अपना विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये थे। इस प्रकार अनुशासनिक अधिकारी द्वारा सीसीए नियम 16 (9) के अन्तर्गत जांच रिपोर्ट का पूर्ण अध्ययन कर जांच रिपोर्ट को उचित बताते हुए आदेश पारित किया गया है जो उचित है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे अपीलार्थी पर आरोपित प्रमाणित आरोपों का खण्डन हो सके। जांच अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन में अपीलार्थी पर आयत आरोप में पटवारी का सदोष कृत्य प्रमाणित होने से श्री राहुल प्रकाश पारीक तत्कालीन पटवारी ढीकोला हाल पटवारी तहसील कोटड़ी की दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोकी जाकर दण्डित किया गया था जो सर्वथा उचित है। अतः अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपचारी कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि अपचारी कर्मचारी को दिनांक 19–8–2014 को ग्राम ढीकोला के बंजारो का खेड़ा (डूंगरी चौराया) में सामुहिक ग्रामवासी ढीकोला के द्वारा बंजारों का खेड़ा बस्ती पर हमला कर आगजनी/तोड़फोड़ की घटना हुई, जिसकी सूचना अपचारी कर्मचारी

द्वारा उच्चाधिकारियों को नहीं देकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में गंभीर लापरवाही बरती है, के आरोप से आरापित किया गया है। उक्त आरोप के संबंध में अपचारी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया गया है कि अपचारी कर्मचारी द्वारा घटित घटना से प्रथम स्तर पर नायब तहसीलदार को अवगत करा दिया गया और वे स्वयं सम्पूर्ण घटनाक्रम में मौजूद रहे तो सूचना देने में अपचारी कार्मिक की लापरवाही प्रतीत नहीं होती है। जब पूरे घटनाक्रम में नायब तहसीलदार उपस्थित थे तो उनके द्वारा उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाना चाहिए था। पटवारी के ऊपर अधिकारी नायब तहसीलदार होता है और उसके ऊपर तहसीलदार जो अधिकारियों की कड़ी है। पटवारी द्वारा नायब तहसीलदार को सूचित कर दिया तथा नायब तहसीलदार पूरे धटनाक्रम में वहीं मौजूद थे तो पटवारी पर सूचना नहीं देकर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया जाना निराधार हैं।

दौराने व्यक्तिगत सुनवाई अपचारी कर्मचारी द्वारा तत्कालीन नायब तहसीलदार,, ढीकोला श्री भोलाराम बैरवा पुत्र श्री कजोड़ी राम बैरवा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपचारी कर्मचारी दिनांक 19.08.2014 को मुख्यालय पर थे और उनके द्वारा प्रातः करीब 7:30 बजे ग्राम ढीकोला के ग्रामवासीयों द्वारा बंजारा बस्ती में आबादी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौपने एवं शाहपुरा–भीलवाड़ा मार्ग पर जाम लगाने की सूचना जरिये मोबाईल उच्चाधिकारियों को दे दी गई थी तथा इसके पश्चात पटवारी श्री राहुल पारीक भीड़ की निगरानी करते हुए एवं राजकीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए मौके पर मौजूद थे। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त घटनाक्रम के दौरान नायब तहसीलदार के साथ पटवारी मौजूद था या नहीं उक्त तथ्यों के संबंध में नायब तहसीलदार के कोई बयान आदि दौराने जांच दर्ज नहीं किये गये जो कि जांच अधिकारी द्वारा गंभीर त्रुटि रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध लगाए गए आरोप पूर्ण रूप से साबित नहीं होते है।

अतःएवं अपचारी कर्मचारी श्री राहुल पारीक तत्कालीन पटवारी ढीकोला हाल तहसील कोटड़ी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किये गये कथन एवं उनके जवाब से सहमति व्यक्त करते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत पारित दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्डादेश दिनांक 25–07–2016 को इसी स्तर पर समाप्त किया जाकर अपचारी कर्मचारी को भविष्य में सावधानी पूर्वक कार्य करने की हिदायत दी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित दो वेतन वृद्धि

असंचयी प्रभाव (Two Increment Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्डादेश दिनांक 25–7–2016 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर